महेश अवाना

निगम पार्षद
वार्ड नं. 202, मीठापुर (बदरपुर)
सदस्य :
1. विशेष (नियुक्तियां, पदोन्नतियां, अनुशासनात्मक एवं सम्बद्ध मामले) समिति
2. तदर्थ (लाइसेंसिंग एवं तहबाजारी) समिति
3. तदर्थ (लाभकारी परियोजना) समिति
4. ग्रामीण क्षेत्रीय समिति

दिल्ली नगर निगम

दूरभाष : कार्या. : 26667027
मो. : 9818307027
कार्या. : 27, स्कूल रोड, श्री कालोनी
मीठापुर गांव, बदरपुर
नई दिल्ली–110044

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No......713..........
Dated......16/11/11

Head Cetral Dy. No 63
Dated 15/11/11
R&D Section, Vikas Minar
Delhi Development Authority

Same as 710

क्रमांक : M.A.-/11......

दिनांक : ....

श्री कमलनाथ जी,
माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार,
निर्माण भवन, नई दिल्ली।

विषयः- मास्टर प्लान 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मेरे वार्ड मीठापुर (202) को गलत तरीके से ओ जोन **(Zone O)** में डाले जाने के संदर्भ में।

श्रीमानजी,

इस पत्र के माध्यम से आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा तैयार किये गये दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में मेरे वार्ड मीठापुर (202) को जोन ओ (Zone O) मतलब यमुना नदी का अग्रभाग/किनारा घोषित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यमुना बैड या यमुना नदी की धारा से दोनो ओर 300 मीटर के क्षेत्र में आ रहे इलाके को ही यमुना नदी का हिस्सा माना है व इस क्षेत्र के संरक्षण पर जोर दिया है।

श्रीमानजी, मेरे वार्ड मीठापुर (202) को दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में ओ जोन (Zone O) घोषित किया गया है। इसमें लगभग 30 अनाधिकृत कालोनिया व लाल डोरे का मीठापुर गांव हैं। यह सभी अनाधिकृत कालोनियां जो दिल्ली सरकार की 1639 की सूची में सूचीबद्ध हैं, शामिल हैं व यहां कि आबादी लगभग डेढ़ लाख से भी ज्यादा है। इस क्षेत्र को ओ जोन में शामिल करने से क्षेत्र के निवासियों में बेहद रोष व्यापत है। नहरपार के मेरे इस वार्ड क्षेत्र मीठापुर (202) को ओ जोन (Zone O) में शामिल करने से हमें कई सरकारी विकास कार्यो में बाधा आ रही है। जिसमें इतनी बड़ी आबादी के लिये मीठापुर में बनने वाला 60 बिस्तरों को दिल्ली सरकार का जच्चा बच्चा अस्पताल व इस पूरे क्षेत्र के लिये पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग व दिल्ली नगर निगम की ऐसी ही कई योजनाऐं हैं जो कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा इस क्षेत्र को जोन ओ (Zone O) में डाले जाने की वजह से अधर में लटक गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा मास्टर प्लान 2021 में यमुना नदी के किनारे बसी गांधी नगर, लक्ष्मी नगर व शकरपुर के ईलाके को पी. जोन (Zone P) में रखा है, जवकि यह ईलाका यमुना नदी से 1 किलोमीटर के दायरे में आता हैं परन्तु मेरे क्षेत्र की सभी कालोनियाँ जो यमुना फ्रन्ट पर भी नहीं है, अपितु उनके व यमुना नदी के बीच में हरियाणा की पूरी आबादी बसी हुई है, जिसमें गांव, सैक्टर व कालोनियाँ शामिल हैं, व यमुना नदी से 3 से लेकर 6 किलोमीटर दूर हैं, उनको भी यमुना फ्रन्ट बताकर जोन ओ (Zone O) में शामिल किया गया हैं, जो कि सरासर गलत है।

अतः श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया मेरे क्षेत्र को ओ जोन से हटाकर एफ जोन में डालने की कृपा करे। हम आपके सदैव आभारी रहेंगें।

आपका,
(महेश अवाना)

Plnt 17/11 DD MPR 18/11 AD.II MPR

प्रतिलिपीः-
1- माननीय उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली
2- माननीय निदेशक (योजना) एमपीआर दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास मीनार, नई दिल्ली।
3- माननीय आयुक्त, दिल्ली नगर निगम, सिविक सेन्टर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, नई दिल्ली।
4- श्री रमेश कुमार माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली, 9 तालकटोरा रोड़, नई दिल्ली।
5- श्री रामसिंह नेताजी, विधायक, बदरपुर, नई दिल्ली।